134

5 रु. भारत पाँच रुपये CANCELLED 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत INDIA Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण कमांक–

निगरानी– 3802/2018/कटनी/भू.रा

600

श्री कुमारी मंजु गौतम अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

प्रस्तुतिकार

29

अधीक्षक

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

1. हेमन्त सोनी पिता स्व. श्री लल्लू लाल सोनी, उम्र लग. 38 साल
2. बंसत सोनी पिता स्व. श्री लल्लू लाल सोनी, उम्र लग. 35 साल

   दोनो निवासी ग्राम स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी
3. मनोज सोनी पिता स्व. बद्री प्रसाद सोनी

   हाल मुकाम आधारताल (कटरा बाजार) जबलपुर, काजल ज्वेलर्स आधारताल तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.
4. मनीष सोनी पिता वल्द सत्यनारायण सोनी उम्र 35 साल

   निवासी ग्राम स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म.प्र.

.......प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण

10 Rs. COURT FEE INDIA TEN RUPEES CANCELLED

बनाम

मस्तराम सोनी पिता स्व. श्री बद्री प्रसाद सोनी उम्र 53 साल

निवासी ग्राम स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म.प्र.

.......अपीलार्थी/अनावेदक

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत

आवेदकगणो का सविनय निवेदन है कि–

यह कि माननीय न्यायालय के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेडा जिला कटनी म.प्र. के द्वारा रा. अपील कमांक 48/अ–6/17–18 पक्षकार मस्तराम सोनी विरूद्ध हेमन्त सोनी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 3.4.18 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह राजस्व निगरानी (रिवीजन) माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदकगण अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत करते है–

//निगरानी के तथ्य//

1– यह कि माननीय विद्वान विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेडा के समक्ष अनावेदक द्वारा संशोधन पंजी कमांक 63 दिनांक 01.10.1982 के व्यवस्था पत्र के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) म.प्र.भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदकगणो के विरूद्ध प्रस्तुत किया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3802/2018/कटनी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मंजू गौतम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला कटनी</u>**	